कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा

पत्रांकः 1354 /दैवी आपदा –शीतलहरी कम्बल दिनांक : नवम्बर 29 ,2018

ई निविदा सूचना

शासनादेश संख्या–3271/एक–10–2018–12(34)/03टी0सी0–1 राजस्व अनुभाग–10 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ दिनांक 19.11.2018 के क्रम में जनपद बाँदा में शीतलहरी/ठण्ड से बचाव हेतु गृह विहीन/निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को निःशुल्क कम्बल वितरण हेतु मु0 25,00,000/– (पच्चीस लाख) रु0 के कम्बल क्रय किये जाने हेतु सरकारी विभागों एवं शासकीय नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगम/प्राधिकरणों/परिषदों/स्वायत्तशाषी संस्थाओं (जिन्हे आगे केता एजेन्सी कहा गया है) द्वारा उ0प्र0 राज्य हथकरघा नि0 लि0 यूपिका, उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोंद्योग बोर्ड के माध्यम से उनके द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थाये, श्री गाँधी आश्रम तथा उ0प्र0 हस्त शिल्प विकास एवं विपणन निगम (पूर्ववर्ती उ0प्र0 निर्यात निगम) के माध्यम में लघु एवं कुटीर तथा हथकरघा इकाईयों से उत्पादित वस्त्रों की क्रय अनिवार्यता के सम्बन्ध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–8/2016/548/18–2–2016–12(एस0पी0)/2010, दिनांकः 12 अगस्त 2016 में दिये गये निर्देशानुसार कम्बल का क्रय सुनिश्चित किया जाना है जिसके लिए ई–निविदा आमन्त्रित की जाती है और ई–निविदा के लिए विस्तृत विवरण वेबसाईट **http/etender.up.nic.in** पर उपलब्ध है।

ई–निविदा दिनांकः 29 नवम्बर 2018 से दिनांक 05 दिसम्बर 2018 तक डाली जा सकती है तथा ई निविदा की डालने की अन्तिम दिनांकः 05 दिसम्बर 2018 होगी। प्राप्त ई–निविदा दिनांकः 06 दिसम्बर 2018 को जिलाधिकारी कार्यालय में एन0आई0सी0 कलेक्ट्रेट बाँदा में प्रातः 11:30 बजे गठित ई–टेंडरिग कमेटी के समक्ष खोली जायेगी।

उक्त शासनादेश के अनुरुप कम्बल की लम्बाई, चौड़ाई तथा वजन आदि निम्नवत् होगी–

1–	कम्बल की मानक लम्बाई कम से कम	235 से0मी0।
2–	कम्बल की मानक चौड़ाई कम से कम	140 से0मी0।
3–	कम्बल की मानक बजन कम से कम	02 किलो 200 ग्राम।
4–	कम्बल का मूल्य	समस्त करों सहित रु 500–00 (पाँच सौ) से अधिक न हो।
5–	कम्बल में ऊन की मात्रा	कम्बल में 70 प्रतिशत ऊन की मात्रा होना अनिवार्य है तथा पुराने यार्न का प्रयोग नहीं होना चाहिये।

ई–निविदा की शर्ते

1	निविदादाता संस्था का प्रमाण पत्र/पंजीकरण सम्बन्धी अभिलेख निविदा के समय लाना अनिवार्य होगा और आन लाईन पोर्टल पर डालना होगा। उक्त अभिलेख पठनीय होनें चाहिये।
2	निविदादाता संस्था को निविदा खोलते समय कम्बल का नमूना प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3	निविदादाता संस्था को कम्बल में इस आशय का टैग लगाना होगा जिसमें सम्बन्धित संस्था का नाम, कम्बल की लम्बाई, चौड़ाई एवं बजन का विवरण होगा तथा यह भी अंकित होगा कि **" कम्बल राजस्व विभाग के सौजन्य से निःशुल्क वितरित किया जा रहा है जो बिकी योग्य नही है"।**
4	निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् निविदादाता संस्था के पक्ष में कार्यादेश निर्गत होने के चार दिन के अन्दर निविदादाता संस्था को वांछित कम्बलो की आपूर्ति करनी होगी। यदि निर्धारित अवधि के अन्दर चयनित संस्था द्वारा कम्बलो की आपूर्ति नहीं की जाती तो उसके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
5	निविदा फार्म के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि निविदा में अंकित सभी शर्ते निविदादाता को स्वीकार है। उक्त के सम्बंध में उत्पन्न किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में **जिलाधिकारी बाँदा द्वारा किया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।**
6	कम्बल में ऊन एवं यार्न के मिश्रण की जाँच करायी जायेगी जिसमें कमी होने पर निविदादाता संस्था उत्तरदायी होगी और नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
7	निविदा दाताओं को धरोहर धनराशि के रूप में रू 50000–00 (पचास हजार) का बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 जिलाधिकारी बाँदा के पक्ष में बनवाकर उसकी सॉफ्ट कॉपी ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य होगा।
8	सेवाकर/जी0एस0टी0 का भार निविदा दाता को स्वयं करना होगा। भुगतान के समय नियमानुसार लागू करों (टैक्स) की कटौती कर ली जायेगी।

29/11/18
(संतोष बहादुर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
बाँदा।

पृ0प0सं0 / दैवी आपदा–शीतलहरी कम्बल

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– आयुक्त महोदय चित्रकूट धाम मण्डल बाँदा को सादर अवलोकनार्थ।

2– जिलाधिकारी महोदय जनपद बाँदा को सादर अवलोकनार्थ।

3– ई डिस्ट्रिकट मैनेजर कले0, बाँदा एवं डी0आई0ओ0,एन0आई0सी0, बाँदा को इस निर्देश के साथ कि तत्काल उक्त ई निविदा की सूचना वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

4–नगर मजिस्ट्रेट बाँदा, मुख्य कोषाधिकारी बाँदा, आहरण एवं वितरण अधिकारी बाँदा को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।

5– नाजिर सदर कले0 बाँदा को तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु।

6– जिला सूचनाधिकारी बाँदा को 10 अतिरिक्त प्रतियों के साथ इस आशय से कि सभी समाचार पत्रों मे उक्त का निःशुल्क प्रकाशन जनहित में कराना सुनिश्चित करे।

(संतोष बहादुर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
बाँदा।